भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 962

25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

योग और प्राकृतिक चिकित्सा को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग से बाहर रखा जाना

962. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) से योग और प्राकृतिक चिकित्सा को बाहर रखे जाने के संबंध में उठाई गई चिंताओं से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो इस बहिर्वेशन के औचित्य और इन विधाओं के पेशेवरों पर इसके प्रभाव सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार नियामक निगरानी और पेशेवर मान्यता प्रदान करने के लिए योग और प्राकृतिक चिकित्सा को एनसीआईएसएम रूपरेखा के अंतर्गत एकीकृत करने के किसी उपाय पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): जी हाँ। योग और प्राकृतिक चिकित्सा को पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1970 में शामिल नहीं किया गया था और तदनुसार, इन्हें भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 में शामिल करने पर भी विचार नहीं किया गया था, क्योंकि अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के विपरीत, ये दवा रहित पद्धतियाँ हैं। हालाँकि, आयुष मंत्रालय, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है तथा इसने केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद (सीसीआरवाईएन) जैसी एक शीर्ष केंद्रीय अनुसंधान परिषद तथा राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान (एनआईएन) और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) जैसे शिक्षण संस्थानों की स्थापना की है।

(ग) और (घ): अभी तक ऐसे किसी उपाय पर विचार नहीं किया गया है।

*****